न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक
03.06.2025

निर्णय दिनांक
06-11-2025

प्रकरण संख्या
317 / 2025

उनवान

1. श्रीमती केशरबाई पत्नि बालू बलाई निवासी हरणीकला तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. किशन पुत्र बालू बलाई निवासी हरणीकला तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. चेतन पुत्र बालू बलाई निवासी हरणीकलां तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नाती उर्फ राजू पुत्री बालू बलाई निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. नारायण पुत्र बालू बलाई निवासी हरणीकलां तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
6. शान्ति पुत्री बालू बलाई निवासी हरणीकला तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. सुगना पुत्री बालू बलाई निवासी हरणीकलां तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राजा)
8. सायर पुत्री बालू बलाई निवासी हरणीकलां तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजा)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूदास पुत्र नन्दराम दास बैरागी, निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. निश्चल पुत्र नेमीचन्द जैन निवासी के0–02 पुराना बापू नगर, भीलवाडा जिला भीलवाड़ा
3. गोपाल पिता छोगा जाट निवासी हरणीकलां तहसील भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. रामेश्वर पुत्र नंदराम जाट निवासी हरणीकला तहसील जिला वृत्तचित्र (राज0)
5. माधुलाल. पुत्र नंदराम जाट निवासी हरणीकलां तहसील जिला महोत्सव (राज0)
6. उदयलाल पुत्र हीरा गाडरी निवासी सबलपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
7. पुरण पुत्र हीरा गाडरी निवासी सबलपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. मनोहर पुत्र मदन दरोगा निवासी हरणीकलां तहसील भीलवाड़ा (राज)
9. श्यामकवंर पत्नी नाहरसिंह राजपुत निवासी हरणीखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
10. राजुदेवी पत्नी सत्यनारायण दरोगा निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
11. शोभालाल पुत्र शंकर लाल ब्राहम्ण निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
12. गोपाल लाल पुत्र लादूलाल ब्राहम्ण, हरणीकलां तहसील महोत्सव जिला भीलवाडा (राज0)
13. देवकिशन पुत्र मदन लाल दरोगा निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. शंकर लाल पुत्र गणेश लाल जाट निवासी हरणीकला तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा
15. मंजू पत्नि महेश कुल्हरी निवासी सी0–57 आर०के० कॉलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
16. भैरू पुत्र रामचन्द्र दरोगा निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
17. किशन पुत्र रामचन्द्र दरोगा निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
18. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षीगण

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं
3. विपक्षी संख्या 18 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरणीकलां पटवार हल्का क्षैत्र हरणीकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1725 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1726 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1745 रकबा 1.4921 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1746 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1808/1745 रकबा 1.3151 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1856/1745 रकबा 0.0126 हैक्टेयर कुल किता 06 कुंल रकबा 3.6164 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोक़न किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम ग्राम हरणीकला पटवार हल्का क्षैत्र हरणीकला भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1725 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1726 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1745 रकबा 1.4921 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1746 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1808 / 1745 रकबा 1.3151 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1856 / 1745 रकबा 0.0126 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 3.6164 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06-11-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] सिंह)
[illegible] अधिकारी
भीलवाडा